न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 136/2017

1. चन्दो देवी पत्नी लीलूराम जाति बावरी निवासी लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र देवी
3. विष्णु
4. शारदा
5. चेतनराम
6. रामकुमार
7. शिशुपाल
8. कालूराम
9. कालीदेवी

पिसरान लीलूराम जाति बावरी निवासी लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. मीरा
2. सुभाष
3. राजेन्द्र
4. पम्मी
5. वीरसिंह

पिसरान मातादीन जाति बावरी निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. श्रवण कुमार पुत्र मातादीन जाति बावरी निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर – मृतक

6/1 कश्मीर पत्नी श्रवण कुमार
6/2 सचिन
6/3 अमरजीत
6/4 किरण
6/5 आशु

पिसरान श्रवण कुमार जाति बावरी निवासी थांदेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

7. वीना पुत्री मातादीन जाति बावरी निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
9. कृष्णा देवी
10. रामभतेरी
11. पूनम

पिसरान लीलूराम जाति बावरी निवासी लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12. भानी जोजा गुलियाराम जाति बावरी निवासी खारी तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 02.06.2015

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश बतरा , अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक रेस्पो संख्या 4

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया शान्ति ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53 का पेश कर पूर्णराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि वादीया के पिता पूर्णराम मरते समय चक 23 एम.एल. में मु.नं. 48 के 18.14 बीघा भूमि छोड गये थे। वादीया ने उक्त भूमि की तमाम किश्तें राज खजाना में जमा करवा दी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। विवादित भूमि पर वादीया का कब्जा चला आ रहा है। पिछले 3–4 साल से वादीया की आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 कुछ भी हिस्सा ठेका नहीं दे रहा है। वादीया ने हिस्सा ठेका मांगा तो वह इन्कार हो गया। अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार कर वाद के अनुतोष की मद सं. क से ग के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दिनांक 10.03.76 को सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर ने वाद खारिज कर

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की गई जो दिनांक 30.03.78 को रिमाण्ड कर दी जिसके विरूद्ध लीलूराम ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो दिनांक 10.03.86 को अस्वीकार कर दी।

अधी. न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावा के आधार पर 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 02.06.2015 को वादीया का वाद स्वीकार करते हुए वादीया को 1/3 हिस्से का खातेदार घौषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा प्लीडिंग के आधार पर सही तनकियात कायम नहीं की गई है। राज.काश्त.अधि. की धारा 88 का वाद केवल खातेदारी ला सकता है। वादीया उक्त भूमि की खातेदार नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही वाद डिक्री किया है जो उचित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जो शान्ति को पूर्णराम की पत्नी नहीं घौषित हेतु पेश किया हुआ है। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.06.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा वादिया शान्ति देवी को पूर्णराम की पुत्री मानकर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दावा डिक्री किया है जबकि शान्ति पूर्णराम की पुत्री ही नहीं थी। अतः किया गया दावा डिक्री निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, विवाद के विनिश्चय हेतु मूल रूप से दावा अधी. न्यायालय में दिनांक 12.08.74 को पेश होकर दिनांक

24/12/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

10.03.76 को अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य संग्रहित कर शांति को पूर्णराम की संतान न मानकर दावा खारिज किया जिसकी सिलसिलेवार अपील , नजरसानिया होकर प्रकरण रिमाण्ड होकर अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी किया है, जिसमें शन्ति को पूर्णराम की पुत्री मानकर दावा उसके पक्ष में 1/3 हिस्से तक डिक्री किया है। चुंकि दोनों निर्णय contradictory है दोनों ही निर्णयों में तनकियात विवेचित होकर एक निर्णय में शान्ति को पूर्णराम की पुत्री माना है एवं एक में नहीं माना है। पश्चातवर्ती अपीलाधीन आदेश में पूर्ववती अपीलाधीन आदेश में पूर्ववर्ती आदेश 10.03.76 की तनकियात विनिश्चय को परिवर्तित नहीं किया तथा अपील मीमों में अपीलधीन आदेश की तनकियात निर्णय गलत होने की आपत्तिया दर्शाई है। प्रकरण को Micro-level पर ले जाने पर प्रथम निर्विवाद बिन्दुओं का विवेचन अपेक्षित है जिसके अनसुार विवादित आराजी तहसील गंगानगर के चक 23 एम.एल. के मु.नं. 48 के 18 बीघा 04 बिस्वा अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामन्तरण संख्या 4 का निर्णय दिनांक 15.04.53 अनुसार Key Person पूरन वल्द गंगाराम के नाम दर्ज होना प्रमाणित है सन्दर्भ राजस्व रिकार्ड नामन्तरण के इन्द्राजात है कि कॉलम नं. 4 में राजस्थान सरकार, 5 में पूर्णराम वल्द गंगाराम जाति बावरी निवासी लठावाली , कॉलम नं. 6 में मु. नं. 48 की 18.14 बीघा, कॉलम नं. 11 में लीलूराम पुत्र पूर्णराम बावरी निवासी लठावाली, कॉलम नं. 12 में 18.14 बीघा, कॉलम नं. 14 विरासतन, कॉलम नं. 15 में 1, कॉलम नं. 16 में पूर्णराम वल्द गंगाराम खातेदार फौत हो चुका है जिसका इकलौता लडका लीलूराम जायज वारिस है। अतः लीलूराम के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज करके वास्ते तस्दीक पेश है, फैसला नकल सहायक जिलाधीश व तस्दीक पंचायत संलग्न है।

यह भी निर्विवाद है कि पूरन की विवादित आराजी उसकी मृत्यु उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार devolve योग्य है जिसकी Bare reading है कि अभिधारियों का उत्तराधिकार – कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाए जो उसकी जोत में का उसका हित उस सवीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्याधीन था न्यायगत होगा।

26/12/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण संख्या 62 के अनुसार पूर्णराम वल्द गंगाराम की मृत्यु उपरांत विरासतन सन्दर्भ नामान्तरणकरण खोला जाकर लीलूराम वल्द पूर्णराम कौम बावरी सा0 लठावाली के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार इस विरासतन नामान्तरणकरण की अपील होना भी जाहिर नहीं हुआ तथा लीलूराम की मृत्यु उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानुसार विवादित आराजी लीलूराम के वारिसान अपीलांट के नाम दर्ज होना भी जाहिर किया गया है। उपरोक्त निर्विवाद बिन्दुओं के पश्चात जो विवाद का विषय बचता है वह शान्ति पूर्णराम की पुत्री है या Cross objection के मुताबिक वह शान्ति की मां बुधी के पूर्व पति नानका की पुत्री है, का विधिक समाधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 371 व 372 में उपलब्ध है जिनकी Bare reading है कि धारा 371. Court having jurisdiction to grant certificate- The District judge within whose jurisdiction the deceased ordinarily resided at the time of his death, or, if at that time he had no fixed place of residence, the District Judge, within whose jurisdiction any part of the property of the deceased may be found, may grant a certificate under this Part.

372 Application for certificate. —.(1) Application for such a certificate shall be made to the District Judge by a petition signed and verified by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure] 1908 (5 of 1908) for the signing and verification of a plaint by or on behalf of a plaintiff, and setting forth the following particulars, namely:— (a) the time of the death of the deceased; (b) the ordinary residence of the deceased at the time of his death and, if such residence was not within the local limits of the jurisdiction of the Judge to whom the application is made, then the property of the deceased within those limits;

(c) the family or other near relatives of the deceased and their respective residences; (d) the right in which the petitioner claims; (e) the absence of any impediment under section 370 or under any other provision of this Act or any other enactment, to the grant of the certificate or to the validity thereof if it were granted: and (f), the debts and securities in respect of which the certificate is applied for.

(2). If the petition contains any averment which the person verifying it knows or believes to be false, or does not believe to be true, that person shall be deemed to have committed an offence under section 198 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इन्हीं कानूनी प्रावधानों की कियान्वति के दौरान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत शान्ति की विधिक Locus- standai जो विनिश्चिय योग्य है जिसका विकल्प खुला रखते हुए विवादित आराजी जरिये नामान्तरण संख्या 62 के जरिये अपीलांट के पूर्वज लीलूराम के नाम दर्ज होकर उसकी कोई अपील नहीं होना जाहिर है, बाद में अपीलांट के नाम दर्ज होकर आज दिनांक तक अपीलांट के कब्जे में चली आ रही है बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(iv) भी रेस्पों. के सन्दर्भ में Invoke योग्य है जिसके अनुसार Respodents के khetedari rights extinguish होना प्रतीत होता है जिसकी Bare reading है कि जब बिना वारिस पीछे छोडे मृत्यु जो जावे– यदि किसी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वारिस नहीं हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जोत में का हित समाप्त हो जावेगा व भूमि रिक्त (खालसा) हो जावेगी और उसका अधिग्रहण कर लिया जावेगा। परन्तु जहां कोई प्रत्यक्ष विधिक–वारिस है, जो अभिनिर्धारित की (राज.) राजगामित्व विनिमय अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अभिधृति अधिकारों का अधिग्रहण बिना वारिस पीछे छोड किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदन करके उसकी अभिधृति– अधिकार का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता इसके लिए राज. राजगामित्व अधि. के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए तथा अपीलांट को मियाद अधिनियम 1963 के चैप्टर iv का protection है जिसके अनुसार अपीलांट को पूर्णराम की सम्पूर्ण आराजी पर Owners rights Acquire हो चुके हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2015 अपास्त किया जाता है। पूर्णराम की विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 62 व पश्चातवर्ती इन्द्राजात जो अपीलांट्स के नाम दर्ज हुए को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर